न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

(1) प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/121/17	05–12–2017	09–04–2018

1. गोविन्द पुत्र जगदीश जाति बलाई निवासी आमका तहसील थानागाजी जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र दीपचन्द जाति मेघवाल निवासी करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
2. उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापसिंहपुरा पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री रामेश्वर दयाल —वकील प्रार्थी
02. श्री पवन चौहान —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन अपील बअनुवानी गोविन्द बनाम बलवीर सिंह, को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से आराजी का बयनामा कराया था और कीमत के मद्दे चैक दिये थे, जिनका हवाला बयनामा में दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा दिये गये चैकों का भुगतान प्रार्थी को नही हुआ, इस प्रकार बयनामा बिना प्रतिफल के कराया गया है। उक्त बयनामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या–03 ने बिना प्रार्थी को सुने आराजी का इन्तकाल संख्या 306 वाके ग्राम गाजरा काठ तहसील नीमराना दिनांक 08.03.2016 को गलत तौर पर स्वीकार कर लिया जिस इन्तकाल के विरूद्ध बअनुवानी गोविन्द बनाम बलवीर सिंह अपील विचाराधीन है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिस पर तहत अदालत ने प्रार्थी को सुनकर राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति का आदेश प्रचलित कर दिया। अपील में विगत पेशी दिनांक 21.12.17 नियत थी। अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त अपील में नजदीक की तारीख पेशी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहत अदालत द्वारा नजदीक की पेशी करने हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 28.11.17 नियत कर दी। दिनांक 28.11.17 को प्रार्थी के वकील न्यायालय परिसर में नही थे इसलिए मुकदमें में दिनांक 7.12.17 नियत की गई। दिनांक 27.11.17 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से कहा कि अपील वापिस लेले, और कहा कि मैने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है तथा मुकदमे में नजदीक की पेशी करा कर अपील में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करा देगा और आराजी को दीगर लोगों को बेचेगा, मैनें पीठासीन अधिकारी से पूरी बात कर ली है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार सुनवाई न कर मनमाने तौर पर आनन फानन में कार्यवाही कर जल्दी-जल्दी तारीख पेशी नियत कर मुकदमों का निस्तारण जल्दबाजी में करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या-1 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से आपस में साजबाज कर पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनाकर उनको प्रकरण का निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है। पीठासीन अधिकारी मनमानी कर रहें है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिये बल्कि होने जैसा दिखना चाहिऐं। अतः न्यायहित में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने के आदेश फरमावें।

हमनें पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में जाहिर किया है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरूप ही सुनवाई की जा रही है।- प्रकरण में निष्पक्ष एव विधि सम्मत् कार्यवाही की जा रही है, समस्त तथ्य काल्पनिक मिथ्या होने से स्वीकार नही है।

इस प्रकार प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में कोई ठोस आधार नही होकर काल्पनिक तथ्य अंकित किये गये है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 आर.आर.डी.117 में यह भी निर्धारित किया गया है कि:-Transfer of a case from a competent court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding officer It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a resonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding officer. Mere making any observation by the Presiding officer during hearing an appeal and on the basis of such obervations, if any of the parties to the appeal feels that the result of appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case,... "

इसी प्रकार 2006-2007 (साप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :- "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहियें। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नहीं हों।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई ठोस आधार नहीं होने एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उप खण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 09–04–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/04/18
(राजन विशाल)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)